

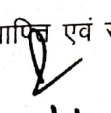
न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appeal -03/2016-17

साफूज मियाँ

बनाम

दादू हेम्रम

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
02.02.2023	<u>आदेश</u> यह अपीलवाद अपीलकर्ता साफूज मियाँ एवं माफिल मियाँ, दोनों के पिता-स्व० रामतुल्ला मियाँ, सा०-गायबथान, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर०ई०आर० वाद सं०-07/2011-12 में दिनांक-18.09.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध 1. दादू हेम्रम, 2. प्रेमराल हेम्रम, दोनों के पिता-रावण हेम्रम एवं 3. फुलमुनी हेम्रम, पिता-कलम हेम्रम, सा०-गायबथान, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि महेशपुर अंचल के मौजा गायबथान के जमाबंदी सं०-12 के दाग सं०-1812 एवं दाग सं०-1813 अन्तर्गत रकवा 12-13 कट्टा से अपीलकर्तागण साफूज मियाँ एवं माफिल मियाँ को उच्छेद किये जाने के विरुद्ध अपील किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्तागण के द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। मौजा-गायबथान के जमाबंदी नं०-12 के दाग सं०-1812 अन्तर्गत रकवा 00-03-13 धुर तथा दाग सं०-1813 के अन्तर्गत रकवा 02-05-07 धुर जमीन खतियान में निंबई हेम्रम एवं चोंदू हेम्रम के नाम से दर्ज है। विपक्षीगण उक्त खतियानी रैयत के वंशज है। प्रश्नगत भूमि अविक्रयशील एवं अहस्तांतरणीय है। अपीलकर्ता का प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है, ये बाहरी व्यक्ति है। अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके आधार पर अविक्रयशील एवं अहस्तांतरणीय मौजा में उनके दखल को उचित ठहराया जा सके। अतः विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कारण न पाते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापति एवं संशोधित।  उ.पा.यु.क. पाकुड़  उ.पा.यु.क. पाकुड़	